इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 25, शक 1935

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 1-7-2013-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक पूर्ति (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1989 को अधिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 हैं.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश;

(ङ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है इस नियम की कंडिका 11 के अधीन सीधी भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85/पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राजपत्रित) सेवा;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों; और;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से किसी एक के द्वारा की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से या साक्षात्कार या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची—चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तयों को भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी, यदि ऐसा अपेक्षित हो.

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**—परीक्षा में चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(एक) **आयु.**—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना क्रियान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतम आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो :

स्पष्टीकरण:—''छंटनी'' किए गए सरकारी सेवक से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में छह माह तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा से मुक्त किया गया हो.

(चार) कोई अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने, या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया हो—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे :—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवा से मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा से मुक्त किए गए हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवा से मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहे;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नि के मामले में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ज) ''विक्रम पुरस्कार '' धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ण) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना सेवा के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(ट) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी.—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए सम्मिलित किया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(3) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी.

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए :

परन्तु,—(क) आयोग, आपवादिक मामले में, सरकार के परामर्श से किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए पात्र ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है. उन पर भी आयोग के विवेकाधिकार पर चयन के लिए विचार किया जा सकेगा.

(तीन) **फीस.**—अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिए विहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी.

(5) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थी के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चिय अंतिम होगा.**—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जो कि सरकार, आयोग से परामर्श करके समय-समय पर जारी करे.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा. उक्त आरक्षण सम स्तर (Horizontal) रूप से और प्रभागवार (Compartment wise) होगा.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तयों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिये पद या पदों को आरक्षित किया गया है किसी अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जाएगा.

(10) अभ्यर्थी को अपनी सेवा कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंधों का पालन करना होगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सूची के उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी, जो आयोग की सहमति से छह माह की कालावधि के लिये बढ़ाई जाएगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु अनुसूची-चार में वर्णित सदस्यों से एक समिति गठित की जाएगी :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.**—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, उस प्रभाव के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम के राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों तथा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जानी है, या जिसने सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप से) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति पर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उप नियम में विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(3) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों पर, जिनका पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग से पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

18. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार के कॉलम (3) में वर्णित किये गये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने के तारीख से 18 माह की कुल अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग (केडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गयी हो, जिससे कि वह सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन.**—मध्यप्रदेश खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1989 तथा इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम यदि कोई हों, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	(सचिव वेतनमान)	भारतीय प्रशासनिक सेवा से.
2.		अपर संचालक	2	-तदैव-	37400-67000+8700	
3.		संयुक्त संचालक	4	-तदैव-	15600-39100+7600	
4.		उप संचालक	4	-तदैव-	15600-39100+6600	
5.		जिला आपूर्ति नियंत्रक	10	-तदैव-	15600-39100+6600	
6.		उप संचालक (वित्त)	1	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	
7.		सहायक संचालक	6	-तदैव-	15600-39100+5400	
8.		जिला आपूर्ति अधिकारी	41	-तदैव-	15600-39100+5400	

टिप्पणी.—(1) अनुक्रमांक 4 तथा 5 में उपर्युक्त पद समान संवर्ग एवं वेतनमान तथा विनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद अंतर परिवर्तनीय अंतरणीय हैं.

(2) अनुक्रमांक 7 तथा 8 में उपर्युक्त पद समान संवर्ग एवं वेतनमान तथा अधिकारी के पद अंतर परिवर्तनीय - अंतरणीय हैं.

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख)]	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण द्वारा यदि कोई हो [नियम 6(1)(ग)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त	1	–		भारतीय प्रशासनिक सेवा के आरक्षित पद हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश द्वारा नियुक्ति.
2.	अपर संचालक	2	–	100 प्रतिशत	
3.	संयुक्त संचालक	4	–	100 प्रतिशत	
4.	उप संचालक	4	–	100 प्रतिशत	
5.	जिला आपूर्ति नियंत्रक	10	–	100 प्रतिशत	
6.	उप संचालक (वित्त)	1	–	–	कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति
7.	सहायक संचालक	6	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
8.	जिला आपूर्ति अधिकारी	41			

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	सहायक संचालक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक.	लोक सेवा आयोग द्वारा सीधा भर्ती.

अनुसूची-चार
(नियम 15 देखिए)

पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	संयुक्त संचालक.	अपर संचालक.	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य —अध्यक्ष.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग—सदस्य. 3. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण—सदस्य. 4. समकक्ष रैंक का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.
	उप संचालक/ जिला आपूर्ति नियंत्रक.	संयुक्त संचालक.	3 वर्ष	-तदैव-
	सहायक संचालक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	उप संचालक/ जिला आपूर्ति नियंत्रक.	5 वर्ष, *5 वर्ष की सेवा में से न्यूनतम एक वर्ष की सेवा सहायक संचालक के पद पर की गई हो.	-तदैव-
	अधीक्षक, संचालनालय/ शीघ्रलेखक-ग्रेड-एक, संचालनालय/ सहायक आपूर्ति अधिकारी.	सहायक संचालक/ जिला आपूर्ति अधिकारी.	5 वर्ष	-तदैव-

टिप्पणी—(1) सहायक संचालक/जिला आपूर्ति अधिकारी की पदोन्नति के लिए अधीक्षक, संचालनालय/शीघ्रलेखक ग्रेड-एक सहायक आपूर्ति अधिकारी की संयुक्त पदक्रम सूची तैयार की जाएगी और सूची में ऐसी निचले पदों पर नियमित नियुक्त अभ्यर्थियों के नाम दर्शित होंगे.

(2) उप संचालक (वित्त) की प्रतिनियुक्ति कोष एवं लेखा सेवा से की जाएगी.

(3) *जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक संचालक से जिला आपूर्ति नियंत्रक/उप संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु सहायक संचालक के रूप में एक वर्ष की सेवा की अनिवार्यता दिनांक 1 जनवरी 2016 के पश्चात् होने वाली पदोन्नतियों पर लागू होगी.

No. F 1-7-2013-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India, superseding Madhya Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department (Gazetted) Service Recruitment Rules 1989, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the (Gazetted) members of the Madhya Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, namely:—

RULES

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Madhya Pradesh;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee;

(d) "Commissioner" means the Commissioner of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department;

(e) "Examination" means a competitive examination for recruitment to be held under rules 11;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide notification No. F-85/XXV/4/84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(i) "Schedule" means schedule appended in these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department (Gazetted) Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every members of the Service as per mentioned in Annexure - I.

4. Constitution of the Service—The Service shall consist of the following persons, namely:—

(1) The persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) The persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) The persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification of Service, Scale of Pay, etc.—(1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the Service shall be entitled to the benefits of Time-Scale of Pay under the provisions of the Circular No.F-11-1-2008-Niyam-4 dated 24.01.2008 issued by the Finance Department.

6. Method of Recruitment – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely:—

(a) by direct recruitment, through Competitive Examination/Selection or interview or by both;

(b) by promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV;

(c) by transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule(l) shall not at any time exceed the percentage as specified in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission, if required.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (l), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department and the Commission adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment – In order to be eligible for selection in the examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) Age— (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate who is holding a temporary post and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant, shall be allowed to deductfrom his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term 'retrenched' Government Servant denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the Constituent units, for a continuous period of six months and who was discharged because of reduction in establishment, not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term 'ex-servicemen' denotes a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment, not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on,

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrollment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Office;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalidated out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(d) The upper age limit shall also be relaxable to maximum of ten years for women as prescribed in M.P. Civil Services (Special sub-clause for Appointment of Women) Rule, 1997.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute and divorced woman candidate.

(f) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years for those candidates who holds 'Green Card' under the Family Planning Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter caste Marriage Incentive Programme of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto maximum period of 5 years in respect of 'Vikram' Awarded candidate.

(i) The upper age limit shall be relaxed upto 45 years in respect of candidate who are employees of the Madhya Pradesh State Corporation/Board.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

(k) The age limit shall also be relaxable for destitute, as per the guidelines issued by Government of Madhya Pradesh from time to time.

NOTE-(1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in rules 8(1)(c)(i) and (ii) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(3) The maximum age limit will not be exceed 45 years for all categories including all type of age relaxations, the base of maximum age limit will be the General Administration Department circular No. 3-11/12/1/3, dated 03.11.12 and 20.11.12 .

(2) Educational Qualifications- A candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III:

Provided that:—

(a) In exceptional cases, the commission may in consultation with the Government on its recommendation treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by other institutions by such a standard for which, the Commission, considers the candidate eligible to appear in the selection/examination;

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for the selection on the discretion of the Commission.

(3) Fees- The Candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. Disqualifications —(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidate by any means may be held by the Commission to disqualify him appearing in the examination/ selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service/promotion, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment for a service or post who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of criminal case.

(5) Male candidate who have more than one wives alive and female candidates who marries a male who has one wife alive shall not be eligible for appointment.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final —The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has not been issued by the Commission, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. Direct Recruitment through Competitive Examination – (1) The competitive examination and interviews for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders, as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointment to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes, as the case may be.

(6) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department. Reservation will be horizontal and comportment-wise.

(7) There shall be reserved post for ex-serviceman with the direction of the General Administration Department.

(8) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(9) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection. The category of post/posts which has been reserved shall not be filled by any other categories person.

(10) The candidates shall follow the provision of Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rule, 1965 during his whole service period.

12. List of candidates recommended by the Commission —(1) The commission shall prepare and forward a list of the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the Commission and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in

administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for the duration of one year from the date of issue by the Commission, which will be extended for the period of six months with the consent of Commission.

13. Probation —Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Appointment by Promotion – (1) There shall be constituted a committee for making selections for promotion eligible candidates consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the departmental promotion Committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Department Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Department Promotion Committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year.

(3) **Certification by the Appointing Authority** – The Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him, a certificate to the effect that he was complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the Rules made by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Conditions for Eligibility for Promotions – (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all the person, who has completed such number of year of service (whether officiating or substantive) on the 1st day of January of that year on the post from which promotion is to be made on or any other post declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2):

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

(2) For the zone of consideration of promotion of the candidate the provisions the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

16. Preparation of List of Suitable Candidate —(1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who qualify the conditions laid down in Rule 15, who are eligible for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provision of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The name of persons included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or post as specified in column (3) of Schedule IV.

Explanation—A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record reasons for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission—The recommendation of Departmental Promotion Committee presided over by the Chairmanship or a Member or Chairman of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under clause (3) of Article 320 of the constitution and it shall not necessary to consult the commission separately.

18. Select List – (1) The Select list as finally approved by the Government will be the list for promotion for the members of the service from the posts given in column (2) of Schedule IV to posts mentioned in column (3) of Schedule IV.

(2) The Select List shall ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of rule 16 but its legal validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, if deems fit, may remove the name of such person from the select list.

19. Appointment to the Service from the Select List – (1) Appointments of the persons included in the Select List to the posts borne on the cadre of service shall follow the order of seniority in which the names of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render his unsuitable for the appointment to the service.

20. Interpretation – If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be it to just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to the person than that provide in these rules.

22. Saving – Nothing in these rules shall affect, reservations, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instruction issued by the State Government from time to time in this regard.

23. Repeal– The Madhya Pradesh Food, Civil Supplies (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1989 and the rules corresponding to these rules, if any, and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(see rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Post included in the Service

S.No	Name of Department	Name of the post included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Commissioner	1	Class-I	(Secretary Pay-Scale)	From Indian Administrative Service.
2.		Additional Director	2	-do-	37400-67000+8700	
3.		Joint Director	4	-do-	15600-39100+7600	
4.		Deputy Director	4	-do-	15600-39100+6600	
5.		District Supply Controller.	10	-do-	15600-39100+6600	
6.		Deputy Director (Finance).	1	Class-II	15600-39100+5400	
7.		Assistant Director	6	-do-	15600-39100+5400	
8.		District Supply Officer.	41	-do-	15600-39100+5400	

Note.—(1) In above post in S.No. 4 and 5 are of same cadre and scale and transferable inter-changeable of the specified first class officer.

(2) In above post in S.No. 7 and 8 posts are of same cadre and scale and transferable inter-changeable officer.

SCHEDULE-II
(see rule 6)
Method of Recruitment

S.No.	Name of the Post included in the service	Total No. of Posts	Percentage of the number of post to be filled in		
			by direct recruitment [rule 6(1)(a)]	by promotion [rule 6(1)(b)]	by transfer from other Services if any [rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner	1	-	-	Appointment by General Administration Department order and for reserved post of Indian Administrative Service.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Additional Director	2	-	100%	
3.	Joint Director	4	-	100%	
4.	Deputy Director	4	-	100%	
5.	District Supply Controller	10	-	100%	
6.	Deputy Director (Finance)	1	-	-	Deputation from Accounts and Treasury Services.
7.	Assistant Director	6			
8.	District Supply Officer	41	25%	75%	

SCHEDULE-III
(see rule 8)
Minimum Age and Qualification for Direct Recruitment

Name of Department (1)	Name of the Post or Service (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Minimum Educational Qualification (5)	Remark (6)
Food, Civil Supplies and Consumer protection Department.	Assistant Director/ District Supply Officer.	21 years	40 years	Graduate from recognized university.	Direct Recruitment by Public Service Commission.

SCHEDULE-IV
(see rule 15)
Post to be filled by Promotion

Name of the Department (1)	Name of the Post from which Promotion is to be made (2)	Name of Post to which promotion is to be made (3)	Minimum period of Service for Promotion (4)	Name of Members of Departmental Promotion Committee (5)
Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department	Joint Director	Additional Director	3 years.	1. Chairman, Public Service Commission or member of Commission. nominated by his —**Chairman**
	Deputy Director/ District Supply Controller.	Joint Director	3 years.	
	Assistant Director/ District Supply Officer.	Deputy Director/ District Supply Controller.	5 years. *Service of 5 years in which minimum of one year service is done on the post of Assistant Director.	2. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Government of Madhya Pradesh, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department —**Member**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Superintendent (Directorate)/ Stenographer-Grade-I (Directorate)/ Assistant Supply Officer.	Assistant Director/ District Supply Officer.	5 years	3. Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Protection —**Member** 4. Nominated member belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes of equal rank —**Member.**

Note-(1) for the promotion of Assistant Director/District Supply Officer, combined gradation list shall be prepare gradation list directorate's Superintendent/Stenographer Grade-I/Assistant Supply Officer's and as such will shown the name of regular appointed candidates of his lower posts.

(2) Deputy Director (Finance) will be deputed from Accounts and Treasury Services.

(3) *The compulsion of one year of service for promotion to the post of Deputy Director/District Supply Controller, from the post of Assistant Director/District Supply Officer will be applicable for the promotions done after the date 01/01/2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.